

उत्तर/समिति/क-1/ एन आर - 141 / 2002 / 7438-7140  
आदेश

रजिस्टर्ड पोस्ट  
दिनांक: 17.08.2002  
02/9/02

शय बीरेन्द्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेवाड़ी, हरियाणा को बी.एड मान्यक्रम की 60 सीटों की मांगता पत्र (097-1998) से समिति के निर्णयानुसार प्रदान की गई थी। संस्था ने नये मानदंडों के संदर्भ में सीटों की संख्या 60 के स्थान पर 120 करने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 28.12.2001 को प्राप्त हुआ था। उत्तर क्षेत्रीय समिति के 43वीं एवं 45वीं बैठक में निर्णय लिया है कि जिन संस्थाओं के आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, एवं जो विधोक्ति विधि के तत्परता प्रकृत्य हैं उन संस्थाओं को अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाये।

शय बीरेन्द्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेवाड़ी, हरियाणा को बी.एड मान्यक्रम की 60 सीटों की मांगता पत्र (097-1998) से समिति के निर्णयानुसार प्रदान की गई थी। संस्था ने नये मानदंडों के संदर्भ में सीटों की संख्या 60 के स्थान पर 120 करने के लिए प्रस्तुत जायज आवेदन को संस्था द्वारा राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने एवं भूमि के दस्तावेज न होने के कारण आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जाता है।

यदि आप सत्र 2003-2004 को मान्यता चाहते हैं तो आपको विधोक्ति विधियों के अन्तर्गत तालम से उन विधोक्त जायज जायज दस्तावेजों सहित विधोक्ति विधि 3.1 (2) 2002 से पहले आवेदन करना होगा।

आज्ञा से

  
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति  
शयबीरेन्द्र सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन,  
रेवाड़ी, हरियाणा

प्रतिलिपि सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

- 1 शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, शासन सचिवालय, हरियाणा।
- 2 सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, इन्स्ट. ऑफ़, इण्डिया नॉर्थ इंडियन परिसर, नई दिल्ली

  
क्षेत्रीय निदेशक